प्रेषक,
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0
सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

सेवा में,
सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियन्त्रक
एस. एन. कालेज शाहजहाँपुर

पत्रांक - डिग्री अर्थ (1)/आयोग/ 7786 /2000-2001 दिनांक 23/10/2001

विषय : प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. वेतन क्रम 8000 — 13500 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो ____ रिक्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या उ शि आयोग/2001-02/ 342 दिनांक 22.8.2001 द्वारा जिन अभ्यार्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1982 की धारा 13(3) के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

- डा (कु) मीना शर्मा,
  15 राजा विहार, नन्दानगर
  इज्जतनगर, बरेली

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा-14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा संस्तुति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने के दिनांक जो भी पहले हो, से विलम्बतम्

क्र0प030

30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक द्वारा जारी करें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाय। यदि आप द्वारा उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो आपको बिना सूचित किये उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 15(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी साथ ही उ0प्र0 राज्य वि0वि0 अधिनियम - 1973 (यथा संशोधित) की धारा - 57(2) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में धारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। जिससे तदोपरान्त आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का कोई अन्तरिम आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व उसका समुचित पालन करने का कष्ट करें। यह आदेश उ0प्र0 राज्य वि0वि0 अधिनियत-1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाध्यकारी है। प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (उ0शि0) को होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

डा0 (आर0 के0 बसलस)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0
इलाहाबाद

पृ0सं0-डिग्री अर्थ-1/आयोग/ 7756-91 तददिनांक

उक्त पत्र निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- प्राचार्य एस. एस. कालेज शाहजहाँपुर
2- सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
3- अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया ______
   (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
   (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा उसकी सूचना निदेशालय को दें।
   (ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहाँपुर
5- कुलसचिव एम. जे. पी. रुहेलखण्ड वि.वि. बरेली
6- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली

सा. सं. निदे. (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0, इलाहाबाद

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0
सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियन्त्रक
एच. एन. महाविद्यालय
शाहजहाँपुर

पत्रांक - डिग्री अर्थ (1)/आयोग/ 8157 /2000-2001 दिनांक 7/11/2001

विषय : प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. वेतन क्रम 8000 - 13500 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो ________ रिक्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या उ० शि० आयोग/ 2001-02/ 342 दिनांक 22.8.2001 द्वारा जिन अभ्यार्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1982 की धारा 13(3) के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

डा० प्रभात शुक्ला
रंग महल, खुर्शीद वाली गली,
शाहजहाँपुर

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा-14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा संस्तुति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने के दिनांक जो भी पहले हो, से विलम्बतम्

कृ०पृ०उ०

30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक द्वारा जारी करें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाय। यदि आप द्वारा उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो आपको बिना सूचित किये 30प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 15(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी साथ ही उ0प्र0 राज्य वि0वि0 अधिनियम - 1973 (यथा संशोधित) की धारा - 57(2) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में धारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। जिससे तदोपरान्त आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का कोई अन्तरिम आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व उसका समुचित पालन करने का कष्ट करें। यह आदेश 30प्र0 राज्य वि0वि0 अधिनियत-1973 (यथा संशोधित) के अर्न्तगत बाध्यकारी है। प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (30शि0) को होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ह0 —
डा0 (आर0 के0 बसलस)
शिक्षा निदेशक (30शि0) 30प्र0
इलाहाबाद

प0सं0-डिग्री अर्थ-1/आयोग/ 8157 - 62 तद्दिनांक

उक्त पत्र निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आचार्य एस॰ एस॰ महाविद्यालय शाहजहाँपुर
2- सचिव, 30प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
3- अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया _____
(क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
(ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा उसकी सूचना निदेशालय को दें।
(ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहाँपुर
5- कुलसचिव एम॰ जे॰ पी॰ रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली
6- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली

सहायक शिक्षा निदेशक (30शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (30शि0) 30प्र0, इलाहाबाद

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0
सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

सेवा में,
सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियन्त्रक
एस. एस. कालेज
शाहजहाँपुर

पत्रांक - डिग्री अर्थ (1)/आयोग/ 7948 /2000-2001 दिनांक 23/10/2001

विषय : प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. वेतन क्रम 8000 — 13500 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो ______ रिक्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या उ0शि0 आयोग/2001-02/342 दिनांक 22.8.2001 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता बी. एड. पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1982 की धारा 13(3) के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

डा0 रचना गुप्ता
पत्नी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता
म. नं. 32, मो0 मोदन गली
गोपालगंज, कासगंज - एटा

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा संस्तुति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने के दिनांक जो भी पहले हो, से विलम्बतम्

क्र0प0ड0

Principal
S.S. College, Shahjahanpur

30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक द्वारा जारी करें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाय। यदि आप द्वारा उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो आपको बिना सूचित किये उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 15(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी साथ ही उ0प्र0 राज्य वि0वि0 अधिनियम - 1973 (यथा संशोधित) की धारा - 57(2) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में धारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। जिससे तदोपरान्त आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का कोई अन्तरिम आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व उसका समुचित पालन करने का कष्ट करें। यह आदेश उ0प्र0 राज्य वि0वि0 अधिनियत-1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाध्यकारी है। प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (उ0शि0) को होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

डा0 (आर0 के0 बसलस)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0
इलाहाबाद

पृ0सं0-डिग्री अर्थ-1/आयोग/ 7718 - 53 तद्दिनांक

उक्त पत्र निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- प्राचार्य एस. एम. कालेज शाहजहाँपुर
2- सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
3- अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया ______
   (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
   (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा उसकी सूचना निदेशालय को दें।
   (ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहाँपुर
5- कुलसचिव एम. जे. पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली
6- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली

- सहायक निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0, इलाहाबाद

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
डिग्री अर्ध–1 अनुभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

डॉ0 समाजीत सिंह
से0नि0 एसोसिएट प्रोफेसर –बी0एड0,
एस0एस0कॉलेज,शाहजहाँपुर।

पत्रांक डिग्री (अर्ध–1)/ /2015–16 दिनांक 14-9- 2015

विषय: सहायता प्राप्त अशसकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शक्षकों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1864/सत्तर –2–2013– 16(246)/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2013शासनादेश संख्या 269/सत्तर –2 –2014 16(246)/ 2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2014 एवं शासनादेश संख्या 384/सत्तर –2–2014– 16(246)/ 2010 दिनांक 24 अप्रैल 2014 एवं शासनादेश संख्या 384/ सत्तर –2–2014–16(246)/ 2010 दिनांक 18 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 498/ सत्तर–2–2014–16(246)/2010 टी0 सी0 दिनांक 5 अगस्त, 2014 प्राप्त निर्देशानुसार आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन व आपकी सहमति के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 16.07.2015 के आलोक में आपको निम्नलिखित शर्तो के अधीन मानदेय के आधार पर शैक्षिक सत्र 2015–16 के लिए अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह निर्देशित किया जात है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने हेतु वेतन संदाय खाते से मानदेय का भुगतान निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा । अतः आप संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/ प्रबन्धक से शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिनों के अन्दर सम्पर्क स्थापित कर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

1 मानदेय पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्त के समय मिल रहे वेतन स्तर के अनुसार मानदेय की दर निम्नवत देय होगी:–

क.	सहायक प्रोफेसर स्तर–	रु0 20,000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रु0 400/–प्रति व्याख्यान की दर से।
ख.	ऐसोसिएट प्रोफेसर स्तर–	रु0 22,000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रु0 500/–प्रति व्याख्यान की दर से ।
ग.	प्रोफेसर स्तर–	रु0 25,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रु0 600/–प्रति व्याख्यान की दर से।

2 यह मानदेय सेवानिवृत्त शिक्षको को प्राप्त हो रही पेंशन के अतिरिक्त होगा जिसकी दर निश्चित होगी पर कोई मँहगाई भत्ता अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

3. मानदेय के आधार सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति महाविद्यालय में संबंधित विषय के रिक्त पद पर आयोग से शिक्षक नियुक्त होने अथवा प्रत्येक शैक्षिणक वर्ष के 30 जून जो भी पहले हो, तक ही एक सत्र के लिए ही की जायेगी एवं अगले सत्र हेतु पुनः नवीन चयन किया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या –73 के लेखा शीर्षक –2202– सामान्य शिक्षा–आयोनेत्तर–03– विश्वविद्यालय तथा उच्यतर शिक्षा –104–अराजकीय कॉलेजो और संस्थानों को सहायता –03 गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (पुरूष/महिलायें)–31–सहायता के नामे डाला जायेगा एवं आगामी वर्षो में यह लेखा व्यय इसी लेखा शीर्षक अथवा प्रतिस्थानी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

प्रो0(ए0एन0एस0यादव)
संयुक्त निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्ध – 4665-69 /2015–16 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलसचिव,एम0जे0पी0रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
2. वित्त नियंत्रक, उ0शि0 मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न मूल नियुक्ति पत्र को सम्बन्धित सेवानिवृत्त प्राध्यापक को प्राप्त करा दें।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य,एस0एस0कॉलेज,शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त प्राध्यापक के महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराकर सूचना निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

डा0(विनीता यादव)
सहायक निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
डिग्री अर्थ–1 अनुभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

डॉ0 शंकर लाल गुप्ता
से0नि0 एसोसिएट प्रोफेसर –बी0एड0,
एस0एस0कॉलेज, शाहजहाँपुर।

पत्रांक डिग्री (अर्थ–1)/ /2015–16 दिनांक 14-9- 2015

विषयः **सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1864/सत्तर –2–2013– 16(246)/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2013शासनादेश संख्या 269/सत्तर –2 –2014 16(246)/ 2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2014 एवं शासनादेश संख्या 384/सत्तर –2–2014– 16(246)/ 2010 दिनांक 24 अप्रैल 2014 एवं शासनादेश संख्या 384/ सत्तर –2–2014–16(246)/ 2010 दिनांक 18 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 498/ सत्तर–2–2014–16(246)/2010 टी0 सी0 दिनांक 5 अगस्त, 2014 प्राप्त निर्देशानुसार आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन व आपकी सहमति के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 16.07.2015 के आलोक में आपको निम्नलिखित शर्तो के अधीन मानदेय के आधार पर शैक्षिक सत्र 2015–16 के लिए अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह निर्देशित किया जात है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने हेतु वेतन संदाय खाते से मानदेय का भुगतान निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा । अतः आप संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबन्धक से शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिनों के अन्दर सम्पर्क स्थापित कर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

1.मानदेय पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्त के समय मिल रहे वेतन स्तर के अनुसार मानदेय की दर निम्नवत देय होगीः–

क.	**सहायक प्रोफेसर स्तर–**	रु0 20,000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रु0 400/–प्रति व्याख्यान की दर से।
ख.	**ऐसोसिएट प्रोफेसर स्तर–**	रु0 22,000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रु0 500/–प्रति व्याख्यान की दर से ।
ग.	**प्रोफेसर स्तर–**	रु0 25,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रु0 600/–प्रति व्याख्यान की दर से।

2 यह मानदेय सेवानिवृत्त शिक्षको को प्राप्त हो रही पेंशन के अतिरिक्त होगा जिसकी दर निश्चित होगी पर कोई मँहगाई भत्ता अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

3 मानदेय के आधार सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति महाविद्यालय में संबंधित विषय के रिक्त पद पर आयोग से शिक्षक नियुक्त होने अथवा प्रत्येक शैक्षिणक वर्ष के 30 जून जो भी पहले हो, तक ही एक सत्र के लिए ही की जायेगी एवं अगले सत्र हेतु पुनः नवीन चयन किया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या –73 के लेखा शीर्षक –2202– सामान्य शिक्षा–आयोनेत्तर–03– विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा –104–अराजकीय कॉलेजो और संस्थानों को सहायता –03 गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (पुरूष/महिलायें)–31–सहायता के नामे डाला जायेगा एवं आगामी वर्षो में यह लेखा व्यय इसी लेखा शीर्षक अथवा प्रतिस्थानी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

प्रो0(ए0एन0एस0यादव)
संयुक्त निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्थ – 4670-74 /2015–16 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलसचिव, एम0जे0पी0रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
2. वित्त नियंत्रक, उ0शि0 मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न मूल नियुक्ति पत्र को सम्बन्धित सेवानिवृत्त प्राध्यापक को प्राप्त करा दें।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, एस0एस0कॉलेज, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त प्राध्यापक के महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराकर सूचना निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

डा0(विनीता यादव)
सहायक निदेशक (उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

नि॰/सम
30/10/06
पंजीकृत

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0
सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

सेवा में,
सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियन्त्रक
स्वामी शुकदेवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुमुक्षु आश्रम
शाहजहाँपुर

पत्रांक - डिग्री अर्थ (1)/आयोग/ 870 /2006-2007 दिनांक 19/10/06

विषय : प्राचार्य/प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा वेतन क्रम 8000-13500 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो शासनादेश दि॰ 22/2/2005 द्वारा सृजित पद रिक्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या उ॰शि॰से॰ आयोग/ 294/ 2006-07 दिनांक 27-9-2006 द्वारा जिन अभ्यार्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1982 की धारा 13(3) के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

श्री अजीत सिंह पाल C/O श्री एस॰ एस॰ जीना
म॰नं॰ 188, सेक्टर-2 बी
वसुन्धरा गाजियाबाद

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा-14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा संस्तुति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने के दिनांक जो भी पहले हो, से विलम्बतम्

क्र०पृ०30

30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक द्वारा जारी करें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाय। यदि आप द्वारा उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो आपको बिना सूचित किये उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 15(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी साथ ही उ0प्र0 राज्य वि0वि0 अधिनियम - 1973 (यथा संशोधित) की धारा - 57(2) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में धारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। जिससे तदोपरान्त आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का कोई अन्तरिम आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व उसका समुचित पालन करने का कष्ट करें। यह आदेश उ0प्र0 राज्य वि0वि0 अधिनियत-1973 (यथा संशोधित) के अर्न्तगत बाध्यकारी है। प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (उ0शि0) को होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

डा0 (मिर्या जान)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0
इलाहाबाद

पृ0सं0-डिग्री अर्थ-1/आयोग/ तद्दिनांक

उक्त पत्र निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- प्राचार्य स्वामी शुकदेवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुख्य अम्बा शाहजहाँपुर
2- सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
3- अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया _____
   (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
   (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा उसकी सूचना निदेशालय को दें।
   (ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहाँपुर
5- कुलसचिव रुहेलखण्ड वि0 वि0 बरेली
6- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली

डा0 (मिर्या जान)
शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0, इलाहाबाद

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब./2009/96(7)/7460 दिनांक: 17-11-2009

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

स्वामी शुकदेवानन्द स्नातकोत्तर
महाविद्यालय मुमुक्षु आश्रम
शाहजहाँपुर

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 23-10-2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्न लिखित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया है-

1-	श्री मुज्जम्मिल खाँ	बी० बी० ए०	प्रवक्ता	एम० बी० ए०
2-	सुश्री ज्योतिका माहेश्वरी	" " "	"	" " "
3-	सुश्री प्रीति मधुर	" " "	"	" " "
4-	डॉ० विकास रघुवंशी	इतिहास	"	पीएचडी-2009
5-	श्रीमती अर्चना शर्मा	चित्रकला	"	नेट-1999
6-	डॉ० कविता भटनागर	संगीतगायन	"	पीएचडी-2003
7-	सुश्री प्रीति डाबड़ा	गृहविज्ञान	"	नेट-2004

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

उप कुलसचिव

रजि.सं. 83/1983-84

स्वामी शुकदेवानन्द कालेज

मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर 242226

सम्पर्क - 05842-240204

पत्रांक : ....

दिनांक : 18/02/16

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री राम चन्द्र सिंघल** पुत्र स्व श्री चिरौंजी लाल सिंघल निवासी रोशन गंज, जिला शाहजहाँपुर संस्था के सचिव हैं। इनके प्रमाणित हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं।

NOTARY
RAM KUMAR
Notary/Advocate
Shahjahanpur
Reg. No. 8211/08
GOVT OF INDIA

हस्ताक्षर प्रमाणित

Signature attested of Ram Chandra Singhal

RAM KUMAR
Advocate
Notary Judges Court, Shahjahanpur
27/2/16

डॉ. (ए. के. मिश्र)
PRINCIPAL
प्राचार्य
S. S. College Shahjahanpur